



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 535 वर्ष 2026

सुषमा सिंह @ खेमा सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ और 5 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पशुपति नाथ द्विवेदी, आशुतोष शुक्ल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पशुपति नाथ द्विवेदी एवं राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आलोक सिंह चौहान को सुना गया।
2. प्रस्तुत जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"(1) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, अधिमानतः परमादेश की प्रकृति में जारी करते हुए, संबंधित विपक्षी, विशेष रूप से विपक्षी संख्या 02 को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक स्वतंत्र विशेष जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए।"

3. राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत जनहित याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यय पत्र और अन्य विवरणों का प्रकटीकरण नहीं किया है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली (न्यायालय के नियम, 1952) के अध्याय XXII के नियम 1 के उप-नियम (3-ए) के अंतर्गत अपेक्षित हैं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम बलवंत सिंह चौपाल व अन्य, एआईआर 2010 एससीडब्लू 1029** में पारित निर्णय के आलोक में सम्यक रूप से संशोधित किया गया है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **दीनबंधु समग्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा शोध संस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन आल 3541** के प्रकरण में पारित निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर सुविधा हेतु नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

"18. उप-नियम (3-ए), नियम 1, अध्याय XXII, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम के तहत यथा-अपेक्षित प्रत्यय पत्र का प्रकटीकरण न करने के कारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वर्तमान याचिका की पोषणीयता के प्रश्न पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि पूर्वोक्त नियम उच्च न्यायालय की नियम-निर्माण शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, जो अर्ध-विधायी प्रकृति की है और इसे 01.05.2010 से अध्याय XXII के नियम 1 में संशोधन के रूप में शामिल किया गया है तथा इसकी वैधता का परीक्षण इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पंकज श्रीवास्तव बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (2014) 3 यूपीएलबीईसी 1832 के प्रकरण में किया गया है और सही ठहराया है।

19. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त नियम नीचे पुनरुत्पादित किया जाता है:

"(3-ए) इस अध्याय के अन्य नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, जनहित याचिका दाखिल करने के इच्छुक याचिकाकर्ता को अपने द्वारा निष्पादित शपथ पत्र में स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से अपनी जानकारी बताते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वह किस सार्वजनिक हित को उठाना चाहता है, इस प्रकरण में उसका कोई व्यक्तिगत या निजी हित नहीं है, इस उठाए गए प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई प्राधिकृत निर्णय नहीं है, तथा याचिका के परिणामस्वरूप उसे या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को कोई अनुचित लाभ नहीं होगा, अथवा किसी व्यक्ति निकाय या राज्य को कोई अनुचित हानि नहीं होगी।"

20. पूर्वोक्त नियम के अनुसार सार्वजनिक हित उठाने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह एक सटीक एवं विशिष्ट तरीके से अपना प्रत्यय पत्र तथा उस सार्वजनिक हित का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करे जिसे उठाया जाना प्रस्तावित है।

21. प्रत्यय पत्र शब्द का एक विशिष्ट भावार्थ और अर्थ है। इसे 'ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी' (8वां संस्करण) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "1. कोई दस्तावेज़ या अन्य साक्ष्य जो किसी की प्राधिकृति या विशेषज्ञता को सिद्ध करता हो। 2. एक प्रमाण-पत्र, कि कोई व्यक्ति विश्वसनीयता या आधिकारिक शक्ति का प्रयोग करने के अधिकार का हकदार है। 3. किसी विदेशी देश के राजदूत या अन्य प्रतिनिधि को दिया गया प्रत्यय-पत्र। 4. संसदीय विधि। किसी सम्मेलन या अन्य विचार-विमर्श सभा में बैठने और वोट देने हेतु प्रतिनिधि की पात्रता का साक्ष्य।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. इसके अतिरिक्त, 'ऑक्सफोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी' (द्वितीय संस्करण) प्रत्यय पत्र की व्याख्या उन गुणों के रूप में करती है जो किसी व्यक्ति को कार्य के लिए परिपूर्ण बनाते हैं या ऐसा दस्तावेज़ जो इस बात का प्रमाण है कि उसके पास यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा है कि वह विशेष कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति है।

23. याचिकाकर्ता से उसके प्रत्यय-पत्रों के प्रकटीकरण की आवश्यकता वास्तव में न्यायालय के समक्ष आने वाले व्यक्ति की पूरी पृष्ठभूमि को अभिलेख पर लाने के लिए आवश्यक है। यह जानकारी याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता, वाद-हेतुक/अधिकार और उसकी वास्तविकता को स्थापित करने में मदद करती है। प्रत्यय पत्र प्रदान करने से यह भी प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता के पास प्रकरण में शामिल गंभीरता और महत्व की आवश्यक विशेषज्ञता, ज्ञान और समझ है। उक्त जानकारी अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय पत्र शब्द किसी व्यक्ति के उन गुणों और अनुभव का द्योतक है जो उसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं।"

5. चूंकि याचिकाकर्ता विधि के अंतर्गत यथा-अपेक्षित तरीके से अपने प्रत्यय-पत्र को प्रकट करने में विफल रहा है, इसलिए मात्र इसी आधार पर जनहित याचिका के रूप में वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिवचनों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवाद पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, विशेष रूप से एक विमल कुमार शुक्ला, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.09.2022 जो कि अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है, तथा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.05.2026 जो कि वर्तमान याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अतः इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान जनहित याचिका पोषणीय नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत जनहित याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी)

जून 5, 2026

मनोज के.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।